फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

लक्ष्मी बनाम **श्योकरण**

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 1156 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
07.12.2021 07-12-21	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोराज से विस्तृत हांच रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 7/1/22 को पेश हो पत्रावली पेश हुई श्रीराम जी ...के. साहब ...उपस्थित ... वादी पत्रावली दि0 11.2.22 को पेश हो।	
11/2/22	पक्षकार वादी उपस्थित प्रतिवादी की तरफ से रजिस्टर्ड सम्मन पेश नहीं किये आवश्यक तौर पर रजिस्टर्ड सम्मन के पत्रावली दि 8/1/22 को पेश हो	
7/3/22	पक्षकार वादी के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई। पक्षकार वादी ने निवेदन किया की हस्तगत वाद में वापसी की इच्छा है इसलिये अभिभाषक के साथ नया वाद पेश करने चाहता है अतः नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ वाद वापस खारिज फरमावे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण तथ्यों पर विचारोपरान्त वादी को वाद नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ वाद वापस खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner